द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
rajssashaladarshan@gmail.com फोन–0141–2706937, 2711964

क्रमांक : राप्राशिप/जय/शाला दर्शन/ 2015–16 / 2268 दिनांक : 6/6/16

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय : शाला दर्शन पोर्टल पर प्रपत्र 1 , 2 व 2बी, 2सी के अपडेशन के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शाला दर्शन पोर्टल को प्रपत्र 1 , 2 व 2 बी, 2 सी के अपडेशन के संबंध में सीमित अवधि के लिये खोला जा रहा है। एसएसए के वेब पोर्टल पर शाला दर्शन से सम्बन्धित अपडेशन का कार्य प्राथमिक तौर पर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों से कार्यमुक्त होकर माध्यमिक शिक्षा विभाग में गये शिक्षकों, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में ही तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत शिक्षकों तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में आये शिक्षकों को प्रपत्र 2 में जोड़ने, हटाने के लिये किया जाना है। इस सन्दर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें –

1. विभिन्न कारणों यथा सेटअप परिवर्तन, प्रमोशन, नवपदस्थापन, रिटायरमेंट आदि कारणों से प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों की शाला दर्शन की सूची में कुछ बदलाव हुआ है। इस बदलाव को पोर्टल पर दर्ज कराने के लिये बीईईओ लॉगिन में 2 नये मॉड्यूल 5 जून से प्रारम्भ किये जा रहे हैं।
2. अपडेशन का कार्य बीईईओ लॉगिन से केवल उन्ही शिक्षकों के लिये होगा जो या तो कार्यमुक्त हुये है या नया कार्यभार ग्रहण किया है।
3. अपडेशन की इस प्रक्रिया मे उन शिक्षकों की प्रविष्टि भी करवायी जानी है जिन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में सैटअप परिवर्तन के कारण शिफ्ट किया गया है लेकिन एकल शिक्षक विद्यालय होने या किसी अन्य कारण से उन्हें अभी कार्यमुक्त नहीं किया गया है।
4. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के नवपदोन्नत प्रधानाध्यापकों (द्वितीय श्रेणी अध्यापक, जो तृतीय श्रेणी से पदोन्नत हुये है) का भी अपडेशन कार्य किया जाना है।
5. बिन्दु संख्या 2 से 4 के अतिरिक्त अन्य शिक्षकों के लिये किसी भी प्रकार का अपडेशन कार्य बीईईओ लॉगिन से नहीं हो सकेगा।
6. शिक्षकों की विभाग/विद्यालय में किसी भी कारण से कार्यमुक्ति एवं विभाग/विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के क्रम में पोर्टल पर अपडेशन के लिये शाला दर्शन पर दो नये लिंक शुरू किये गये हैं। पहला लिंक विद्यालय से किसी भी कारण से एग्जिट होने वाले शिक्षकों के लिये है। यह 'स्टॉफ एग्जिट' के नाम से है। इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग छोड़कर माध्यमिक शिक्षा विभाग में जाने वाले, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में ही पदोन्नति के कारण स्थानान्तरित हुये शिक्षकों के लिये है। इसमें उन शिक्षकों की भी प्रविष्टि की जानी है जिन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन/शिफ्ट किये जाने के आदेश प्राप्त हुये लेकिन एकल अध्यापक होने या किसी अन्य विभागीय कारण से फिलहाल कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। दूसरा लिंक 'स्टॉफ ज्वाइन' के नाम से है। इसके अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में आये शिक्षकों एवं भविष्य मे आने वाले नव नियुक्त शिक्षकों की प्रविष्टियाँ की जानी है।
7. स्टॉफ एग्जिट प्रोग्राम लिंक के द्वारा विभिन्न कारण (जो कि प्रोग्राम प्रारम्भ करने के बाद दिखाई देंगे) से विद्यालय छोड़ने वाले अध्यापकों का विवरण दर्ज करना है। ध्यान दें इसमें विद्यालय के पूर्व प्रविष्ट अध्यापक ही दिखाई देंगें। जिसमें लास्ट के कॉलम में उचित कारण का चयन करना है। इसी प्रकार स्टॉफ ज्वाइनिंग प्रोग्राम लिंक द्वारा विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा से आने वाले अथवा नयी ज्वाइनिंग वाले स्टाफ को ऐड करना है।
8. इन दोनों प्रोग्राम्स के चलाने के पश्चात विद्यालय स्टॉफ में केवल वही नाम दिखने चाहिये जिनकी सेलरी इसी विद्यालय से उठती है।
9. स्टॉफ एग्जिट में कार्मिक चयन के पश्चात स्टॉफ के एग्जिट होने का कारण यदि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में पदोन्नत है तो जिला, ब्लॉक, विद्यालय, विषय का चयन कर सेव करें।
10. माध्यमिक शिक्षा विभाग से आये समस्त शिक्षकों के नाम उक्त लिंक से जोड़ने के पश्चात उनके लिये सम्बन्धित 2बी/2सी भरा जाना है।
11. पूर्व में यदि किसी भी शिक्षक का विषय ठीक प्रविष्ट नहीं है तो उसका अपडेशन कार्य बीईईओ लॉगिन पर नहीं होगा।
12. शिक्षा विभाग में 2008 तक तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्ति के समय स्नातक में जो विषय थे, लेवल 2 के विषय निर्धारण में वे ही विषय नीचे दी गई तालिका के अनुसार मान्य होंगे। यदि नियुक्ति के पश्चात कोई भी शिक्षक अति. विषय के रूप में स्नातक की अर्हता प्राप्त करता है तो उसकी सेवा पुस्तिका में तो वह अतिरिक्त विषय (पदोन्नति के लिये नियमानुसार) जोड़ा जा सकेगा लेकिन प्रपत्र 2बी में अति. विषय नहीं जोड़ा जायेगा। जानकारी में आया है कि कुछ शिक्षकों द्वारा स्नातक करने के पश्चात अतिरिक्त (चतुर्थ) विषय के रूप में अतिरिक्त योग्यता अर्जित कर उसे प्रपत्र 2सी में जोड़ा जा रहा है। जो कि अनुचित है यह उल्लेखनीय है कि इस तरह से

अतिरिक्त विषय किसी भी शिक्षक के प्रपत्र 2वी में नहीं जोड़ा जावे। नियुक्ति के समय तक अर्जित योग्यता (विषय) ही लेवल 2 के विषय निर्धारण के लिये मान्य होगा।

13. विशिष्ट पूर्व प्राथमिक (उच्च प्राथमिक) एवं अन्य विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों का स्टाफिंग पैटर्न पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार रहेगा तथा शाला दर्शन पोर्टल पर इसके लिये मैन्युअल फीडिंग की जावेगी।

14. 0 नामांकन वाले समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्टाफिंग पैटर्न की सूची/प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है। अतः आपको अपने जिले/ब्लॉक के विद्यालयों की संख्या पोर्टल पर कम दिखाई देगी।

15. पोर्टल पर यदि अभी भी पंचायती राज, शिक्षा विभाग, शिक्षाकर्मी, केजीबीवी एवं अन्य आवासीय विद्यालयों के प्रबंधन के विद्यालयों के अतिरिक्त यदि संस्कृत या अन्य प्रबंधन के विद्यालय आ रहे हो तो उन्हें परिश्रम पूर्वक हटवाया जाना सुनिश्चित करें। एक भी विद्यालय अन्य प्रबंधन का पोर्टल पर जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिये। ठीक इसी तरह कोई विद्यालय अभी भी जुड़ने से छूट रहा हो तो उसे जुड़वाना सुनिश्चित करें। साथ ही अब तक नहीं जोड़ जाने के लिये जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

16. शिक्षकों के विषय निर्धारण पूर्व में 16 फरवरी 2016 को जारी दिशा निर्देशों के क्रम में निम्न आधार पर होगा :-

(i) वर्ष 2008 से पूर्व सीधी भर्ती से नियुक्त हुए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापकों का विषय प्रथम नियुक्ति के विषयानुसार होगा।

(ii) वर्ष 2008 के पश्चात नियुक्त/पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों का विषय उनकी नियुक्ति/पदोन्नति के विषय के अनुसार निर्धारित होगा।

(iii) वर्ष 2008 से पूर्व पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों का विषय उनके बिन्दु संख्या 12 (ग) पर दर्शाये गये स्नातक के ऐच्छिक विषयों के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित होगा।

| क्र. | स्नातक के ऐच्छिक विषय | निर्धारित विषय |
|---|---|---|
| 01 | गणित ऐच्छिक विषय के साथ अन्य ऐच्छिक विषय | गणित |
| 02 | प्राणी विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान ऐच्छिक विषय के साथ गणित विषय को छोड़कर अन्य ऐच्छिक विषय | विज्ञान |
| 03 | अंग्रेजी साहित्य ऐच्छिक विषय के साथ अन्य ऐच्छिक विषय | अंग्रेजी |
| 04 | हिन्दी साहित्य ऐच्छिक विषय के साथ अंग्रेजी साहित्य विषय को छोड़कर अन्य विषय | हिन्दी |
| 05 | तृतीय भाषा ( संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी) के साथ हिन्दी साहित्य व अंग्रेजी साहित्य विषय को छोड़कर अन्य ऐच्छिक विषय | सम्बन्धित तृतीय भाषा |
| 06 | सामाजिक अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले ऐच्छिक विषय यथा राजनीति विज्ञान/भूगोल/अर्थशास्त्र/इतिहास/दर्शन शास्त्र/समाज शास्त्र/लोक प्रशासन/मनोविज्ञान/गृह विज्ञान इत्यादि में से कोई दो ऐच्छिक विषय के साथ अन्य ऐच्छिक विषय (हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य एवं तृतीय भाषा के विषय को छोड़कर) | सामाजिक विज्ञान |
| 07 | उपरोक्त क्र.सं. 1 से 6 के अलावा अन्य ऐच्छिक विषय होने पर | सामान्य |

(iv) तृतीय श्रेणी अध्यापक के लेवल (लेवल-1 या लेवल-2) का अंकन निम्नानुसार किया जावे।

(v) वर्ष 2012 एवं 2013 में आर.टी.ई. के प्रावधानुसार भर्ती किये गये तृतीय श्रेणी अध्यापकों का लेवल जिस पद पर नियुक्त किया उनके उसका विषय उसी अनुसार निर्धारण होगा

(vi) उपरोक्त बिन्दु 'V' के अतिरिक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लेवल निम्नानुसार होगा –

1. बीएसटीसी होने पर लेवल 1 निर्धारित होगा।
2. बीएड होने पर लेवल 2 निर्धारित होगा।

(vii) लेवल-2 के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के विषयों का अंकन निम्नानुसार होगा।

(viii) वर्ष 2012 एवं 2013 में आर.टी.ई. के प्रावधानुसार भर्ती किये गये तृतीय श्रेणी लेवल-2 अध्यापक के विषय का निर्धारण नियुक्ति विषय के अनुसार होगा।

17. वास्तविक स्थिति के आधार पर यदि किसी शिक्षक के विषय में अपडेशन की आवश्यकता है तो इसके लिये जिलों के माध्यम से परिषद्‌ को समेकित करवाते हुये परिषद्‌ को स्पष्ट कारण सहित मय दस्तावेजों के भिजवावें।

18. ब्लॉक कार्यालयों से परिषद्‌ को सीधे ही प्राप्त ईमेलों पर कार्यवाही नहीं की जावेगी। अतः ब्लॉक से सम्बन्धित समस्त समस्याओं/मार्गदर्शन आदि से सम्बन्धित पत्राचार जिला स्तर पर समेकित कर जिलों के माध्यम से ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। विद्यालय/शिक्षक से सम्बन्धित किसी भी समस्या को प्रस्तुत करते समय विद्यालय का डायस कोड आवश्यक रूप से लिखें साथ ही एक ही बिन्दु/समस्या से सम्बन्धित ईमेल को बार-बार मेल न करावें।

19. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या एवं मार्गदर्शन के लिये परिषद्‌ पर सम्पर्क करने से पूर्व जिले के एमआईएस से आवश्यक रूप से सहयोग लें।

20. स्टाफिंग पैटर्न एवं शाला दर्शन से सम्बन्धित समस्त मेल rajssashaladarshan@gmail.com पर ही करें। अन्य ईमेल आईडी पर प्रेष्य ईमेल पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

तदनुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ. प्रिया बलराम शर्मा)
अति. आयुक्त

क्रमांक-रासाशिप/गुणवत्ता शिक्षा/शा.दर्शन/2015-16/ 2269 दिनांक : 6/6/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, रासाशिप, जयपुर।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय बीकानेर,
3. अति. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
4. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
5. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त